नई सड़कों में अंडरपास व फुट ओवरब्रिज बने : सीएम

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई सड़कों में आबादी के घनत्व के हिसाब से अंडरपास एवं फुट ओवरब्रिज बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि फुट ओवरब्रिज का डिजाइन एवं स्लोप ऐसा होना चाहिए कि दिव्यांग और जानवर आसानी से उस पार जा सकें।

मुख्यमंत्री श्री कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित विमर्श में रविवार को सड़क सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर में हुई सड़क दुर्घटना में नौ बच्चों की मौत को लेकर मर्माहत दिखे। उन्होंने कहा कि यह घटना विचलित करने वाली और अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि ग्रीन फील्ड, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और फोरलेन सड़कों के निर्माण का कार्य तो जारी रहेगा, लेकिन बिहार की आबादी के घनत्व को ध्यान में रखते हुए सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ताकि इस तरह के हादसों से लोगों को बचाया जा सके।

उन्होंने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया, जो इस संबंध में हर पहलू पर विचार कर अपना मंतव्य देगा।

सीएम ने कहा कि 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार के अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल जैसे हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कुछ अलग तरीके से सोचने व करने की आवश्यकता है। बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, महाधिवक्ता ललित

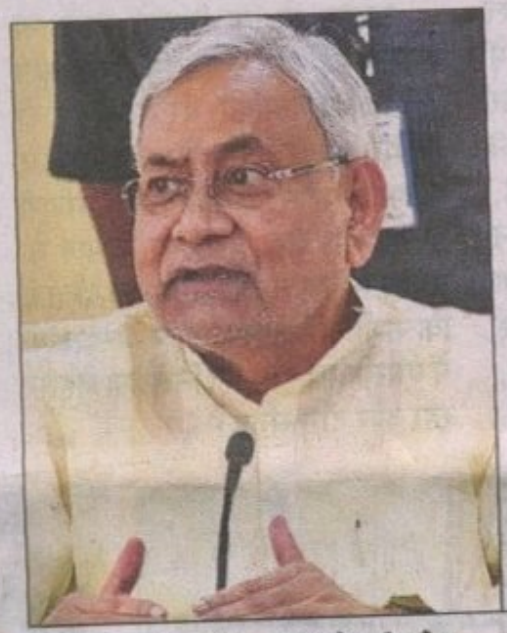

09 बच्चों की मुजफ्फरपुर में हादसे में मौत को सीएम ने अत्यंत दुखद बताया

कानूनी प्रावधान, संरचना में सुधार की जरूरत

सीएम ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर कानून में प्रावधान, संरचना में सुधार, सुरक्षा व जागरूकता जैसी हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हल निकालना होगा, ताकि मुजफ्फरपुर जैसी मर्माहत करने वाली घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

स्पीड ब्रेकर हल नहीं

सीएम ने कहा कि खेती करने वाले सड़क किनारे बसे लोगों के लिए अपने जानवर एवं कृषि यंत्रों को लेकर सड़क पार कर खेतों तक जाना अनिवार्यता है। ऐसे में वे कैसे सुरक्षित सड़क पार कर सकें, इसके लिए नए सिरे से सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आबादी बढ़ती जा रही है और गुड्स का मूवमेंट भी हो रहा है। इससे सड़कों पर परिचालन का भार भी बढ़ रहा है। सीएम ने कहा कि स्पीड ब्रेकर कोई समाधान नहीं है। कानून कितना प्रभावी है, लोग कितने जागरूक हैं, संरचना जैसे अन्य विषयों पर भी सोचने की जरूरत है।